न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 24 / 2022 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2022/28)
पंजीयन दिनांक– 06.04.2022
निर्णय दिनांक– 18.08.2025

1. श्री शंकरलाल पिता नारू गाडरी, निवासी बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती कमली पुत्री नारू गाडरी, निवासी बानसेन, हाल मुकाम लुहारिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमती धापु बेवा नारू गाडरी, निवासी बानसेन, हाल मुकाम लुहारिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री पेमा पिता कालु गाडरी, निवासी बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री देवीलाल पिता पेमा गाडरी, निवासी बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री बालु पिता रामचन्द्र गाडरी, निवासी बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री नारू पिता रामचन्द्र गाडरी, निवासी बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ मृतक के बजायः–
    1. श्री चम्पा पिता नारू गाडरी, निवासी बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्रीमती लेहरी पुत्री भेरा गाडरी पत्नि देवजी गाडरी, निवासी रदाई खेडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

6. श्री फत्ता पिता नाथु गाडरी, निवासी बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

7. तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बी. एल. पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
2. श्री मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7
   राजकीय अभिभाषक

प्रकरण संख्या – 25 / 2022 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2022/29)
पंजीयन दिनांक– 06.04.2022
निर्णय दिनांक– 18.08.2025

1. श्री बालू पिता रामचन्द्र गाडरी, निवासी बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री फत्ता पिता स्व. नाथु गाडरी, निवासी बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री पेमा पिता कालु गाडरी, निवासी बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री देवीलाल पिता पेमा गाडरी, निवासी बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री चम्पा पिता स्व. नारू गाडरी, निवासी बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री शंकर पिता स्व. नारू गाडरी, निवासी बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

5. श्रीमती धापु बेवा स्व. नारू गाडरी, निवासी बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्रीमती कमली पुत्री स्व. नारू गाडरी पत्नि नारायण गाडरी, निवासी ग्राम लुहारिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
7. मु. लेहरू पुत्री स्व. भेरा पत्नि देवा गाडरी, निवासी रदाई खेडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
8. तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बी. एल. पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
2. श्री मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 8
   राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या 01/2021 निर्णय दिनांक 10.06.2021

निर्णय

दिनांक 18.08.2025

अपीलांट द्वारा यह अपीलें (शीर्षक वर्णित) अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण संख्या 01/2021 निर्णय दिनांक 10.06.2021 के विरूद्ध दिनांक 05.04.2022 एवं 28.08.2022 को प्रार्थना बाबत धारा 5 मयाद अधिनियम, प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इन प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्री देवीलाल पिता पेमा गाडरी एवं श्री पेमा पिता कालु गाडरी द्वारा श्री बालु पिता रामचन्द्र

गाडरी, श्री नारू पिता रामचन्द्र गाडरी, मु. लेहरी पुत्री भेरा पत्नि देवा गाडरी एवं श्री फत्ता पिता नाथु गाडरी व तहसीलदार, भदेसर के विरूद्ध एक अपील नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 25.07.1952 के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के यहां पेश की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 01/2021 निर्णय दिनांक 10.06.2021 से नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 25.07.1952 को निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भदेसर को प्रतिप्रेषित किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपीलें पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.06.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किये हैः— ***"प्रश्नगत इंतकाल में भुवाना की विरासत का इंतकाल है भुवाना के पुत्रों को सजरे में दर्शाया गया है। चूंकि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के पूर्वजों के मध्य पूर्व में उक्त भूमि का बंटवारा तो हुआ था, परंतु बंटवारे के परिणाम से अपीलांट असहमत है। अधीनस्थ न्यायालय को भी अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त कार्यवाही करना त्रुटिपूर्ण है, अतः अपील अपीलांट अंदर मयाद शुमार की जाती है तथा नामांतरण संख्या 19 दिनांक 25.07.1952 को निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भदेसर को रिमाण्ड की जाकर वर्तमान प्रविष्टियों में अपीलांट को समानांतर दर्शाते हुए पुनः नये सिरे से उभयपक्षों का साक्ष्य लेकर जांच पडताल कर पुनः बंटवारा करें।"***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपीलें पेश की गई है।

यह अपीलें दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपील संख्या 24/2022 में अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बी. एल. पालीवाल उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 7 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल

राजकीय अभिभाषक उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 2 स्वयं उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 से 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहें। इसी प्रकार अपील संख्या 25/2022 में अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बी. एल. पालीवाल उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 8 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 2 स्वयं उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 से 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहें।

प्रकरणों में दिनांक 13.08.2025 को पत्रावलियां बहस में नियत थी। प्रकरण में विवाद बिन्दु समान होने के कारण इस न्यायालय के (शीर्षक वर्णित) प्रकरण संख्या 24/2022 एवं 25/2022 में पक्षकारान् के अनुरोध पर दोनो प्रकरणों को समायोजित किया गया। प्रकरण में इसके साथ ही अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा एक राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसमें राजीनामें के आधार पर (जो कि संलग्न होकर इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा, एवं प्रति दोनो पत्रावलियों में संलग्न रहेगी) राजीनामा अनुसार अपीलांट्स तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 सभी एक ही परिवार के व्यक्ति होकर आपस में राजीनामा किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.06.2021 की पालना में तहसीलदार, भदेसर द्वारा खोला गया नामांतरण संख्या 588 निर्णय दिनांक 07.02.2022 निरस्त किया जावें तथा नामांतरण संख्या 19 निर्णय दिनांक 25.07.1952 को यथावत रखा जाने का समझोता/राजीनामा प्रस्तुत किया। पक्षकारान की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाने पर उनके द्वारा राजीनामा सही होना स्वीकार किया। पत्रावलियों का रेकर्ड अवलोकन किया गया तो हम यह पाते है कि प्रकरण में पारिवारिक विवाद के दृष्टिगत प्रकरण के नातिक निस्तारण के लिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर का निर्णय दिनांक 10.06.2021 निरस्त करते हुए राजीनामा के आधार पर बाद जांच

नियमानुसार नामांतरण की कार्यवाही किये जाने के लिए प्रकरण तहसीलदार, भदेसर को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत होगा।

उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर का निर्णय दिनांक 10.06.2021 अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, भदेसर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल हो तथा अधीनस्थ न्यायालय को इस न्यायालय के निर्णय की प्रति के साथ राजीनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जावें।

(सी. आर. देवासी)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर